न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
160 / 2023	26.12.2023	12.02.2024

पीठासीन अधिकारी– विजेन्द्र कुमार मीणा (आर.ए.एस.)

उनवान

1– जुल्फीकार अली आत्मज रमजानी जाति मुसलमान निवासी नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादी)

बनाम

1– रियाज मोहम्मद आत्मज रमजानी
2– इंसाफ अली आत्मज रमजानी
3– जेनुल आवेदनी आत्मज रमजानी
4– मुख्तयार अली आत्मज रमजानी
5– मोईनुदीन आत्मज रमजानी
6– रमजानी आत्मज जरदार मोहम्मद जाति मुसलमान निवासीगण नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
7– राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से – श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से – रामबाबू दाधीच एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.एक्ट बावत घोषणा खातेदारी, तथा विभाजन

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि

1– यह कि वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 6 के नाम ग्राम नोताडा में खसरा नम्बर 1389 रकबा 0.67 हेक्टर, खसरा नम्बर 1432 रकबा 2.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 1433 रकबा 1.69 हेक्टर, खसरा नम्बर 1523 रकबा 0.28 हेक्टर , खसरा नम्बर 1619 रकबा 1.71 हेक्टर , कुल 5 किता की कुल रकबा 6.38 हेक्टर भूमि स्थित है।

2– यह कि ग्रारम नोताड़ा तहसील दीगोद में प्रतिवादी नम्बर 6 के नाम खसरा नम्बर 794 रकबा 0.20 हेक्टर , खसरा नम्बर 1039 रकबा 0.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 1068 रकबा 0.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 1440 रकबा 3.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 1455 रकबा 0.68 हेक्टर, खसरा नमबर 1522 रकबा 2.65 हेक्टर, खसरा नम्बर 1721 रकबा 0.69 हेक्टर कुल 7 किता की 7.58 हेक्टर व ग्राम नीमली खसरा नम्बर 217 मध्य रकबा 3.08 हेक्टर, खसरा नम्बर 182 पश्चिम रकबा 0.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 344 रकबा 1.58 हेक्टर, खसरा नम्बर 343 रकबा 0.30 हेक्टर, कुल 4 किता की 5.07 हेक्टर, भूमि स्थित है उपरोक्त आराजियात पुश्तैनी आराजी है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 5, प्रतिवादी नम्बर 6 के साथ साथ खातेदार घोषित होने के अधिकारी है व मोके व कब्जे काश्त के अनुसार उक्त भूमि को जोत व लगान की दृष्टि से कोई विवाद न हो इसलिये विभाजन करवाना चाहते है।

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

3– यह कि वादी व प्रतिवादी नं0 1 लागायत 6 आपस में पिता पुत्र है जिनके मध्य मोके पर पारावारिक बंटवारा हो रहाहै। जिसके अनुसार वादी व प्रतिवादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व व जोत को लेकर विवाद होता है। जिससे वादी व प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर बंटवारा करवाकर अलग– अलग दर्ज करवाना चाहते है। इस हेतु प्रतिवादी नं0 7 व उसके अधिनस्थ कर्मचारी से दिनांक 10.04.2022 को कहने पर उनके द्वारा बंटवारा नही करने से यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

4– यह कि वाद कारण दिनांक 10.04.2022 को प्रतिवादीगण द्वारा बंटवारा की मना करने पर उत्पन्न हुआ है।

5– यह कि प्रतिवादी नं0 7 लेण्ड हॉल्डर होने व राज्य सरकार के प्रतिनिध होने से व उक्त वाद अर्जेन्ट नेचर का होने से प्रतिवादी नम्बर 7 को धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना असंभव होने से नोटिस की अवधि मुक्ति हेतु धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र अलग से संलग्न है।

6– यह कि विवादित आराजी ग्राम नोताडा में स्थित होने से उक्त वाद का माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त होने से यह वाद उचित कोर्ट फीस पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी व प्रतिवादी 1 ता 6 के मध्य विभाजन की डिक्री पारित की जावे कि:–

1– कि वाद पत्र की मद नं0 1 में अंकित भूमि ग्राम नोताडा में खसरा नम्बर 1389 रकबा 0.67 हेक्टर, खसरा नम्बर 1432 रकबा 2.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 1433 रकबा 1.69 हेक्टर, खसरा नम्बर 1523 रकबा 0.28 हेक्टर , खसरा नम्बर 1619 रकबा 1.71 हेक्टर , कुल 5 किता की कुल रकबा 6.38 हेक्टर भूमि व वाद पत्र की मद नम्बर 2 में अंकित भूमि ग्राम नोताड़ा तहसील दीगोद में प्रतिवादी नम्बर 6 के नाम खसरा नम्बर 794 रकबा 0.20 हेक्टर , खसरा नम्बर 1039 रकबा 0.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 1068 रकबा 0.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 1440 रकबा 3.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 1455 रकबा 0.68 हेक्टर, खसरा नमबर 1522 रकबा 2.65 हेक्टर, खसरा नम्बर 1721 रकबा 0.69 हेक्टर कुल 7 किता की 7.58 हेक्टर व ग्राम नीमली खसरा नम्बर 217 मध्य रकबा 3.08 हेक्टर, खसरा नम्बर 182 पश्चिम रकबा 0.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 344 रकबा 1.58 हेक्टर, खसरा नम्बर 343 रकबा 0.30 हेक्टर, कुल 4 किता की 5.07 हेक्टर, भूमि में वर्णित आराजियात का वादी व प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित करते हुये पक्षकरारों के मध्य हुये पारावारिक बंटवारे व कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन करते हुये राजस्व रिकार्ड में पृथक पृथक लगान कायम किया जावे।

वादी की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न हैः–

1– नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–2075

2– नकल जमाबन्दी सम्वत 2075–2078

3– नकल जमाबन्दी सम्वत 2074–2077

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी विधिवत करवायी गई। वादी व प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर न्यायालय में लोक अदालत की भावना से आपसी सहमति से उभय पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से आपसी सहमति से एक लिखित राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली की आदेशिका पर वादी

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहिचान वादी अधिवक्ता द्वारा एवं प्रतिवादीगण की पहिचान प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा करवायी गयी। वादी–प्रतिवादीगण की पहिचान हेतु आई डी की जांच की गयी। पत्रावली को बहस पर नियत की गयी।

वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्तों की बहस सुनी गयी। वादी–प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किये जाने का अनुरोध किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड , बहस वादी–प्रतिवादी अधिवक्ता एवं संलग्न अन्य दस्तावेजों एवं प्रस्तुत राजीनामा का गहन अध्ययन अवलोकन किया गया।

वादी–प्रतिवादीगण में आपसी सहमति से राजीनामा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया:–

यह कि उपरोक्त उनवान का एक वाद सम्मानीय न्यायालय में जेरकार है जिसमें आज तारीख पेशी नियत है।

राजीनामा

1– वादी जुल्फीकार अली के हिस्से में आयी भूमि :–

ग्राम का नाम	ख0नं0	रकबा	प्राप्त हिस्सा	दिशा
नोताडा	1433	1.69 हेक्टर	1.69 हेक्टर	सम्पूर्ण
नोताडा	1619	1.71 हेक्टर	1.01 हेक्टर	पूर्व दिशा नोताडा
कुल 2 किता			2.70 हेक्टर	

2– प्रतिवादी नं0 1 रियाज मोहम्मद के हिस्से में आयी भूमि:–

ग्राम का नाम	ख0नं0	रकबा	प्राप्त हिस्सा	दिशा
नीमली	217 मध्य	3.08 हेक्टर	3.08 हेक्टर	सम्पूर्ण
कुल 1 किता			3.08 हेक्टर	

3– प्रतिवादी नं0 2 इंसाफ अली के हिस्से में आयी भूमि:–

ग्राम का नाम	ख0नं0	रकबा	प्राप्त हिस्सा	दिशा
नीमली	182 पश्चिम	0.11 हेक्टर	0.11 हेक्टर	सम्पूर्ण
नीमली	344	1.58 हेक्टर	1.58 हेक्टर	सम्पूर्ण
नीमली	343	0.30 हेक्टर	0.30 हेक्टर	सम्पूर्ण
नोताडा	1455	0.68 हेक्टर	0.68 हेक्टर	सम्पूर्ण
कुल 4 किता			2.67 हेक्टर	

4– प्रतिवादी नं0 3 जेनुल आवेदीन के हिस्से में आयी भूमि:–

ग्राम का नाम	ख0नं0	रकबा	प्राप्त हिस्सा	दिशा
नोताडा	1522	2.65 हेक्टर	1.33 हेक्टर	उत्तर दिशा
नोताडा	1523	0.28 हेक्टर	0.28 हेक्टर	सम्पूर्ण
नोताडा	1440	3.10 हेक्टर	1.10 हेक्टर	पश्चिम दिशा
कुल 3 किता			2.71 हेक्टर	

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

5– प्रतिवादी नं0 4 मुख्तयार अली के हिस्से में आयी भूमि:–

ग्राम का नाम	ख0नं0	रकबा	प्राप्त हिस्सा	दिशा
नोताडा	1440	3.10 हेक्टर	2.00 हेक्टर	पूर्व दिशा
नोताडा	1619	1.71 हेक्टर	0.70 हेक्टर	पश्चिम दिशा
कुल 2 किता			2.70 हेक्टर	

6– प्रतिवादी नं0 5 मोइनुदीन के हिस्से में आयी भूमि:–

ग्राम का नाम	ख0नं0	रकबा	प्राप्त हिस्सा	दिशा
नोताडा	1432	2.03 हेक्टर	2.03 हेक्टर	सम्पूर्ण
नोताडा	1389	0.67 हेक्टर	0.67 हेक्टर	सम्पूर्ण
कुल 2 किता			2.70 हेक्टर	

7– प्रतिवादी नं0 6 रमजानी के हिस्से में आयी भूमि:–

ग्राम का नाम	ख0नं0	रकबा	प्राप्त हिस्सा	दिशा
नोताडा	1039	0.09 हेक्टर	0.09 हेक्टर	सम्पूर्ण
नोताडा	1069	0.17 हेक्टर	0.17 हेक्टर	सम्पूर्ण
नोताडा	1721	0.69 हेक्टर	0.69 हेक्टर	सम्पूर्ण
नोताडा	794	0.20 हेक्टर	0.20 हेक्टर	सम्पूर्ण
नोताडा	1522	2.65 हेक्टर	1.32 हेक्टर	दक्षिण दिशा
कुल 5 किता			2.47 हेक्टर	

अतःराजीनामा पेश कर निवेदन किया है कि उक्त वाद पत्र को आपसी सहमति से प्राप्त हिस्सा अनुसार डिक्री फरमाया जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा पर उपभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

उभय पक्ष की ओर से आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्द्ध राजस्व रिकार्ड एवं उभय पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी पुश्तैनी भूमि है। अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी–प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण को राजीनामा विभाजन अनुसार पृथक पृथक खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक राजीनामा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से में आयी भूमि अनुसार पृथक खातेदार घोषित किया जाकर पृथक पृथक लगान कायम किया जावे। रहन यथावत रहेगा। मुताबिक राजीनामा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अलम दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)